कार्यालय प्राचार्य, स्व. श्री देवी प्रसाद जी चौबे शासकीय महाविद्यालय, गंडई
जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)
Email-ppgandaicollege@gmail.com website- http://govtcollegegandai.in

पत्र क्र. 241 / स्था. / लेखा / 2025 गंडई,दिनांक 04 / 08 / 2025

सूचना

कालेज परिसर में नवनिर्मित कैंटिन का अतिशीघ्र शुभारंभ होना हैं। इस कैंटिन का उद्देश्य विद्यार्थियों एवं कॉलेज स्टॉफ की जरूरतों एवं पसंद के अनुसार किफायती दामों पर स्वल्पाहार एवं पोषण युक्त भोज्य पदार्थ उपलब्ध कराना हैं। इस केंटिन का संचालन कॉलेज प्रशासन के द्वारा बनाये गये सामान्य नियमों एवं शर्तो के अधीन होगा। केंटिन संचालन के इच्छुक व्यक्ति या संस्था को इस सूचना के एक सप्ताह के भीतर आवेदन करना होगा।

केंटिन संचालन के सामान्य नियम एवं निर्देश

1. केंटिन संचालन के लिए 3000/– रूपये सुरक्षित राशि कॉलेज में जमा करना होगा।
2. केंटिन भवन, बिजली, पानी आदि के उपयोग के एवज में 1000/– रूपये प्रतिमाह कॉलेज को देना होगा।
3. केंटिन संचालन की समयावधि प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक हैं। केंटिन संचालक को इसका पालन करना होगा।
4. केंटिन के खाद्य व पेय पदार्थ गुणवता–युक्त होना चाहिए।
5. केंटिन को साफ–सुथरा रखना होगा तथा कचड़े का उचित प्रबन्धन एवं निष्पादन करना होगा।
6. केंटिन में उपयोग बर्तन, गैस, फ्रिजर आदि उपकरणों की व्यवस्था संचालक को ही करना होगा।
7. केंटिन के खाद्य व पेय पदार्थो के मूल्यों को प्रदर्शित करना होगा। यह मूल्य बाजार कीमत से अधिक नही होना चाहिए।
8. केंटिन में धुम्रपान व अन्य मादक पदार्थो का विक्रय एवं प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा।
9. केंटिन में अनुशासन व व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व केंटिन संचालक का होगा।
10. रैंगिग की श्रेणी में आने वाले टीका– टिप्पणियों पर रोक लगाने का दायित्व केंटिन संचालक का होगा।
11. केंटिन संचालक को बाहरी एवं असामाजिक तत्व के व्यक्तियों के प्रवेश को नियंत्रित करना होगा।
12. केंटिन के संचालन के लिए कॉलेज प्रशासन से 11 माह का अनुबंध करना होगा।
13. कॉलेज प्रशासन को केंटिन संचालन के नियमों एवं उप नियमों में जरूरत के अनुसार बदलाव करने का अधिकार होगा।
14. समय–समय पर कॉलेज प्रशासन के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना होगा।

डॉ. डी.पी कुर्रे
प्राचार्य
शासकीय महाविद्यालय गंडई
जिला–खैरागढ़–छुईखदान–गंडई (छ.ग.)

PRINCIPAL
GOVERNMENT COLLEGE GANDAI
DIST-KCG